राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
भू–तल खाद्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर।

क्रमांक एफ 1(4) आ.प्र. एवं सआ/सामान्य/2013/ 10429-410 जयपुर, दिनांक 17.7.13

जिला कलेक्टर
अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर,
नागौर, झुझुनूं, जोधपुर, चूरू, राजसमंद,
पाली, जैसलमेर एवं सीकर, राजस्थान।

विषयः–भारत सरकार द्वारा जारी नये नोर्म्स दिनांक 21 जून, 2013 के अनुसार प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने बाबत।

प्रसंगः–No- 32-3/2013-NDM-I Government of India.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सम्वत् 2069 में खरीफ फसलों में खराबा होने पर राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित काश्तकारों को एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 4192–211 दिनांक 15.3.2013 जारी किया गया था। तत्समय तक भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2012 एवं 28.9.2012 को जारी नोर्म्स प्रभावी थे। जिसके अन्तर्गत कृषि आदान अनुदान की दरे 3000/–, 6000/– एवं 8000/– प्रति हैक्टेयर क्रमशः अंसिचित, सिंचित एवं बारहमासी फसलों (perennial crops) के लिये निर्धारित थी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.6.2013 को एसडीआरएफ एवम् एनडीआरएफ नोर्म्स में संशोधन किया जाकर उसे 1 मार्च, 2013 से प्रभावी किया गया है जिससे कृषि आदान अनुदान की दरे 4500/–, 9000/– एवं 12000/– प्रति हैक्टेयर क्रमशः अंसिचित, सिंचित एवं बारहमासी फसलों (perennial crops) के लिए निर्धारित की गई है।

अतः नये संशोधित नोर्म्स के अनुसार अभावग्रस्त जिलो के प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान उनके बैंक खातों में राशि का हस्तानान्तरण कर करवाया जाये और जिन काश्तकारों के बैंक खातों में कृषि आदान अनुदान राशि का पूर्व नोर्म्स के अनुसार हस्तानान्तरण करवा दिया है उन काश्तकारों के बैंक खातों में नये नोर्म्स के अनुसार अन्तर राशि का और हस्तानान्तरण करवाऐ।

भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के पूर्व एवं नवीन मानदण्डौं की प्रति संलग्न है।

शासन सचिव